All india Institute of Medical Sciences Bhopal (MP)
Yellow Fever Vaccination Facility

येलो फीवर या पीत ज्वर टीकाकरण के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. *येलो फीवर या पीत ज्वर वैक्सीन लेने की जरूरत किसे है ?*

निम्नलिखित 46 अफ्रीकी और मध्य या दक्षिण अमेरिकी देशों में यात्रा करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को येलो फीवर या पीत ज्वर वैक्सीन लेने की जरूरत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस सूची को बदला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए के लिए *http://www.ihrpoe.co.in/yellow-fever-vacc.php* वेबसाइट को देखें।

अफ्रीकी देश				मध्य और दक्षिण अमेरिकी देश	
अंगोला	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	मॉरिटानिया	गाम्बिया	अर्जेंटीना	सूरीनाम
बेनिन	भूमध्यवर्ती गिनी	नाइजर	टोगो	बोलीविया	ट्रिनिडाड और टोबैगो
बुर्किना फासो	इथियोपिया	नाइजीरिया	युगांडा	ब्राजील	वेनेजुएला
बुरुंडी	गैबॉन	रवांडा		कोलंबिया	
कैमरून	घाना	साओ टॉम और प्रिंसिपी		इक्वाडोर	
केप वर्ड	गिन्नी	सेनेगल		फ्रेंच गयाना	
केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य	गिनी-बिसाऊ	सियरा लिओन		गुयाना	
चाड	केन्या	सोमालिया		पनामा	
कांगो	लाइबेरिया	सूडान		पराग्वे	
कोटे डी आइवर	माली	तंजानिया		पेरू	

2. *आपको यलो फीवर वैक्सीन कहां मिल सकती है?*

ये वैक्सीन भारत सरकार द्वारा नामित अस्पताल या स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में प्राप्त की जा सकती है। ऐसे केंद्रों की सूची समय-समय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा *http://www.ihrpoe.co.in/yf-vacc-centres.php* वेबसाइट पर अपडेट की जाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सिर्फ एम्स भोपाल को इसके लिए नामित किया गया है। यह सुविधा सीएफएम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

3. *क्या हर किसी को यलो फीवर वैक्सीन दी जा सकती है?*

नहीं, कुछ लोग हैं जो निम्न एक या अधिक कारणों की वजह से यलो फीवर वैक्सीन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपनी गैर-पात्रता का प्रमाण दिखाने के बाद छूट प्रमाण पत्र (**Exemption Certificate**) प्राप्त कर यात्रा करने की आवश्यकता है।

क्रम संख्या	छूट के लिए मानदंड	गैर-पात्रता के प्रमाण के लिए दस्तावेज़
1	आयु 9 महीने से कम या 65 वर्ष से अधिक	वैध भारतीय पासपोर्ट
2	गर्भावस्था और स्तनपान	प्रसूति या पंजीकृत चिकित्सक से प्रमाण पत्र
3	अंडे से एलर्जी का सिद्ध इतिहास	अंडे से एलर्जी के बारे में मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्रमाण पत्र / रिपोर्ट
4	रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जो दवा (जैसे स्टेरॉयड, कैंसर की दवाइयाँ आदि) या बीमारी (जैसे थाइमस ग्रंथि की बीमारियाँ, एससीआईडी आदि) से हो गयी है	पंजीकृत चिकित्सक से प्रमाण पत्र (दवा या बीमारी का नाम सहित)
5	एचआईवी संक्रमित रोगी जिनमें रोग के लक्षण आ गए है	पंजीकृत चिकित्सक से प्रमाण पत्र (बीमारी एवं लक्षण का नाम सहित)

For any enquiry You may Contact
Phone- 0755-2982607, 0755- 2985569
Email- hospitalenquiry@aiimsbhopal.edu.in

4. *येलो फीवर का टीका कब लगाया जाना चाहिए ?*
   उपर्युक्त 46 अफ्रीकी / मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों में यात्रा करने से कम से कम 10 दिन पहले यात्रियों को स्वयं टीकाकरण करवाना चाहिए।

5. *प्रमाण पत्र की मान्यता कब तक होती है?*
   येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जीवन भर के लिए वैध है। इसकी वैधता टीकाकरण की तारीख के 10 दिन बाद शुरू होगी।

एम्स भोपाल में येलो फीवर टीकाकरण कैसे प्राप्त करें ?

चरण 1

6. *किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?*
   a) स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ वैध भारतीय पासपोर्ट
   b) कोई भी दस्तावेजी प्रमाण जैसे वीसा, हवाई टिकट, निमंत्रण पत्र, नौकरी पत्र या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जिस पर गंतव्य देश का नाम लिखा हो। (तालिका में उल्लिखित देशों में से कोई एक)।
   c) यदि यात्री टीकाकरण के लिए पात्र नहीं है तो छूट का प्रमाण (बिंदु 3 देखें)
7. *टीकाकरण का दिन - प्रत्येक बुधवार (भारत सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों को छोड़कर)*
8. *टीकाकरण के लिए किस समय आपको रिपोर्ट करना चाहिए ?*
   पंजीकरण के लिए सभी यात्री को सुबह 11: 30 बजे से पहले रिपोर्ट करना होगा।

9. *टीकाकरण के आपको कहां रिपोर्ट करना है ?*
   a) अस्पताल के ओपीडी पंजीकरण काउंटर पर जाएँ, या
   b) आप सीएफएम ओपीडी का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एम्स भोपाल की वेबसाइट (https://aiimsbhopal.edu.in) या भारत सरकार के ओ. आर. एस पोर्टल (https://ors.gov.in/index.html) से ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ओ पी डी कार्ड बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन एरिया में उचित काउंटर पर संपर्क करें।

   किसी भी कठिनाई होने पर ओ पी डी सहायता काउंटर (मे आई हेल्प यू डेस्क) में सम्पर्क करें। यह ओपीडी पंजीकरण क्षेत्र में स्थित है।

चरण 2

10. *टीकाकरण की प्रक्रिया*
    a) पात्रता का आकलन - ओपीडी पंजीकरण काउंटर से सीएफएम विभाग का एक ओपीडी कार्ड प्राप्त करें। पात्रता के आकलन के लिए अपने ओपीडी कार्ड के साथ सी.एफ.एम.ओपीडी पर जाएं।
    b) आप सी.एफ.एम. ओपीडी अटेंडेंट को अपने येलो फ़ीवर के टीकाकरण के आकलन के लिए सूचित करें ताकि वह आपकी मदद कर सके। येलो फीवर *टीकाकरण आकलन* के लिए एक अलग कतार है।
    c) यदि आप टीकाकरण के लिए पात्र हैं, तो ओपीडी कार्ड लेकर टीकाकरण क्लिनिक, कमरा नंबर 5 में जाएं। यहां के नर्सिंग अधिकारी आपसे *सहमति और घोषणा पत्र* भरने के लिए कहेंगे। यह सब भर कर और अन्य दस्तावेज (मूल पासपोर्ट की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि) टीकाकरण क्लिनिक में जमा करें । अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करें।

For any enquiry You may Contact
Phone- 0755-2982607, 0755- 2985569
Email- hospitalenquiry@aiimsbhopal.edu.in

d) यदि आप टीकाकरण के लिए पात्र नहीं हैं, तो आपको छूट प्रमाणपत्र लेना होगा। इसके लिए **"छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया"** के निर्देशों को पढ़ें।

चरण 3

11. फीस का भुगतान

a) टीकाकरण क्लिनिक के नर्सिंग अधिकारी सभी आवश्यक दस्तावेज की जांच के बाद आपको टीकाकरण के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। 300 रुपए का भुगतान बिलिंग काउंटर पर करके रसीद प्राप्त करें।

b) अब टीकाकरण क्लिनिक में टीके के लिए वापस पहुँचे ।

नोट: कृपया पात्रता के आकलन के बिना और सभी दस्तावेज जमा करने से पहले फीस का भुगतान नहीं करें क्यूँकि यह वापस नहीं होगी।

चरण 4

12. टीकाकरण:

टीकाकरण कक्ष में नर्सिंग अधिकारी को भुगतान रसीद दें और बाहर प्रतीक्षा करें। बुलाने पर टीकाकरण कक्ष के अंदर जाएं। सभी टीकाकरण दोपहर 1.00 बजे से पहले किए जाएंगे।

नोट: टीकाकरण के बाद, सभी यात्रियों को किसी भी तत्काल प्रतिकूल घटनाओं के लिए कम से कम 30 मिनट के लिए रुकना है।

चरण 5

13. प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें ?

नर्सिंग अधिकारी *अंतर्राष्ट्रीय येलो फीवर टीकाकरण प्रमाणपत्र* पर हस्ताक्षर करवायेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे ।

नोट: यात्रियों को यह देखना चाहिए कि उनका प्रमाण पत्र सभी प्रकार से पूर्ण है, जिस पर मुहर लगी है और हस्ताक्षर किए हुए हैं।

14. विभिन्न चरणों में कितना समय खर्च होने की उम्मीद है

a) पूछताछ और पंजीकरण - 15- 3 0 मिनट
b) पात्रता का आकलन – 15-30 मिनट
c) दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण, सहमति और घोषणा - 15-30 मिनट
d) फीस का भुगतान - 10-15 मिनट
e) टीकाकरण - 15-20 मिनट
f) सम्भावित AEFI के लिए प्रतीक्षा - 30 मिनट
g) प्रमाणपत्र वितरण – 30-90 मिनट

For any enquiry You may Contact
Phone- 0755-2982607, 0755- 2985569
Email- hospitalenquiry@aiimsbhopal.edu.in

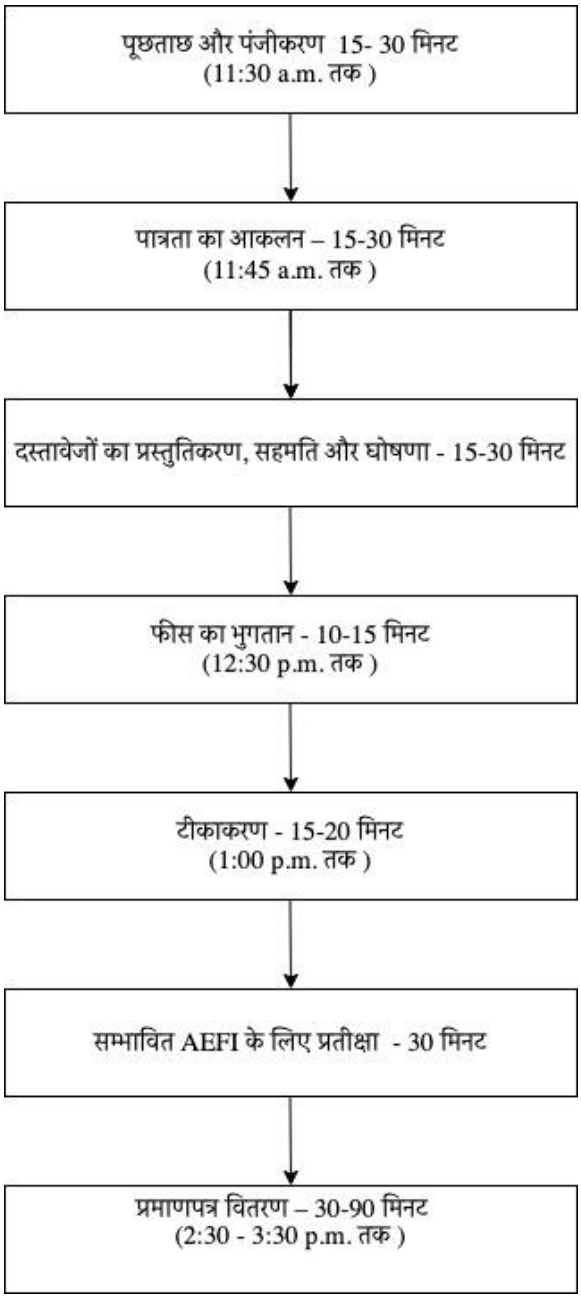

नोट: अनपेक्षित परिस्थितियों में उपरोक्त प्रक्रियाओं मे देरी हो सकती है (उदाहरण के लिए पर्याप्त संख्या में यात्री नहीं होना , उपकरण की खराबी आदि) । टीके 2-खुराक या 5 -खुराक शीशियों में उपलब्ध हैं। इसलिए, यात्रियों को 2, 4, 6 आदि (2-खुराक शीशी) या 5 , 10 , 15 आदि (5 खुराक शीशी) के गुणकों में टीका लगाया जायेगा ।

अधिक जानकारी **टीकाकरण क्लिनिक (कमरा नंबर 5) , सीएफएम ओपीडी, एम्स अस्पताल**, साकेत नगर, भोपाल से प्राप्त किया जा सकता है। आप स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से भी संपर्क कर सकते हैं -

i.नोडल अधिकारी, *येलो फीवर टीकाकरण सुविधा*, सामुदायिक और परिवार चिकित्सा विभाग
ii. नर्सिंग अधिकारी / प्रभारी वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी
iii.चिकित्सा अधीक्षक, एम्स भोपाल

For any enquiry You may Contact
Phone- 0755-2982607, 0755- 2985569
Email- hospitalenquiry@aiimsbhopal.edu.in

छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यात्रियों के कुछ समूहों को येलो फीवर का टीका नहीं दिया जा सकता है। ऐसे यात्रियों को येलो फीवर टीकाकरण से छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करने के बाद उन्हें ***छूट प्रमाण पत्र*** प्राप्त करना होगा -

क) वैध मूल भारतीय पासपोर्ट और स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी
ख) *येलो फीवर* टीकाकरण के लिए गैर-पात्रता के लिए मूल प्रमाण

छूट प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया है -

क) दस्तावेजों के सत्यापन के माध्यम से गैर-पात्रता के लिए मूल्यांकन
ख) छूट प्रमाणपत्र का स्पष्टीकरण और भारत वापस लौटने पर 6 दिनों के लिए संगरोध / अलगाव की आवश्यकता पर चर्चा
ग) प्रमाण पत्र का वितरण

डुप्लीकेट येलो फीवर वैक्सीनेशन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया

जिन यात्रियों को एम्स भोपाल में टीका लगाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना मूल येलो फीवर टीकाकरण प्रमाणपत्र खो गया है, उनको डुप्लिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर डुप्लीकेट प्रमाणपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं -

क) अनुरोध पत्र (यह टीकाकरण क्लिनिक में प्रदान किया जाएगा)
ख) खोए हुए / चोरी किए गए मूल प्रमाण पत्र के बारे में एफ.आई.आर की प्रति
ग) पासपोर्ट की प्रति (सत्यापन के लिए मूल पासपोर्ट लायें)
घ) पुराने येलो फीवर टीकाकरण प्रमाणपत्र की प्रति

किसी अन्य जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं
फोन- 0755-2982607, 0755- 2985569
ईमेल- hospitalenquiry@aiimsbhopal.edu.in